न्यायालय : - नायब तहसीलदार,लखनऊ

मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :लखनऊ

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202510460258031

वाद संख्या:- 58031/2025

संजय राज बनाम गाँव सभा

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34/35

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 06/01/2026

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी संजय राज के नामांतरण प्रार्थना पत्र दिनांक 18.11.2025 पर प्रारम्भ हुआ जिसमें कहा कि मृतक श्रीमती उर्मिला देवी वर्मा पत्नी केतनी रंजन प्रसाद वर्मा निवासी-4/169 विशाल खण्ड गोमती नगर लखनऊ के स्थान पर उनके विधिक वारिसान संजय राज पुत्र केतनी रंजन प्रसाद वर्मा निवासी-पी 5, 7 फ्लोर गौरव अधिकारी अपार्टमेंट गौतमबुद्ध नगर का नाम गाटा संख्या 174मि रकबा 1.5060 हे0 के अपने अंश से, स्थित ग्राम-उत्तरधौना, परगना तहसील व जिला लखनऊ का नाम बतौर सहखातेदार अंकित किया जाये।

प्रसूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार वाद दर्ज मिसिलबन्दकर इश्तहार जारी किया गया जो बाद प्रसारण संलग्न पत्रावली है। कोई आपत्ति नही है। वाद निर्विवाद है। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन के सम्बन्धित नकल खतौनी, मृत्यु प्रमाण पत्र व आधार कार्ड की छायाप्रति व कार्यालय अंचल अधिकारी पटना सदर द्वारा जारी पारिवारिक सूची प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न पत्रावली है। पत्रावली मंे संलग्न श्रीमती उर्मिला देवी वर्मा पत्नी केतनी रंजन प्रसाद वर्मा का मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार खातेदार की मृत्यु दिनांक 17.04.2021 को हो चुकी है। मृतक खातेदार श्रीमती उर्मिला देवी वर्मा पत्नी केतनी रंजन प्रसाद वर्मा के स्थान पर उनके विधिक वारिसानो का नाम अंकित किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नही होती है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम-उत्तरधौना, परगना तहसील व जिला लखनऊ की खतौनी 1425 से 1430 फसली के खाता संख्या 00414 की गाटा संख्या 174मि रकबा 1.5060 हे0 के अपने अंश से, मा0गु0 60ख से मृतक/खातेदार श्रीमती उर्मिला देवी वर्मा पत्नी केतनी रंजन प्रसाद वर्मा निवासी-4/169 विशाल खण्ड गोमती नगर लखनऊ के स्थान पर उसके विधिक वारिसान संजय राज पुत्र केतनी रंजन प्रसाद वर्मा निवासी-पी 5, 7 फ्लोर गौरव अधिकारी अपार्टमेंट गौतमबुद्ध नगर का नाम संक्रमणीय भूमिधर द्वारा वरासतन अंकित किया जाये। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"